कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)
//परिपत्र//

क्रमांक–क्यू/2020

उज्जैन, दिनांक–05.06.2020

मुझे अधिवक्तागण द्वारा बताया गया कि वे जमानत आवेदन/सुपुर्दगी आवेदन ई मेल के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई कब होगी, इसकी सूचना उन्हे प्राप्त नहीं होती। अधिवक्तागण को सुनवाई का पता लगाने हेतु न्यायालय आना पड़ता है। यदि उन्हे आवेदन–पत्र की सुनवाई की जाने वाली नियत तारीख से अवगत करा दिया जावेगा, तो उन्हे अनावश्यक न्यायालय नहीं आना पड़ेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्तागण द्वारा ई–मेल द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रिंट किये जाकर उपलब्ध कराये जावे। संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी प्रोसीडिंग लिखी जाकर केस डायरी/अभिलेख तलब किया जावे और सुनवाई हेतु तारीख नियत की जावे और उक्त आदेश पत्रिका की एक फोटोकॉपी संबंधित अधिवक्ता को वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जावे या मोबाइल से सुनवाई की तिथि की सूचना दी जावे।

इसी प्रकार अधिवक्ता द्वारा निराकृत आवेदन के आदेश की सत्यापित प्रति मांगे जाने पर उन्हे संबंधित न्यायालय द्वारा सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे। साथ ही प्रस्तुत आवेदन–पत्र के निराकरण/परिणाम की सूचना दिये जाने हेतु संबंधित न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक आदेश–पत्रिका की फोटोकॉपी अधिवक्तागण को वाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करावे।

5/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक–05.05.2020

पृष्ठां0 क्रमांक–क्यू–1/2020
प्रतिलिपि–

1 समस्त न्यायाधीशगण, न्यायालय, उज्जैन
2 समस्त प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय, उज्जैन
3 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन
4 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
5 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन

की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/6/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)